Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Aanganbari Revision Case No.- 06 /2024

Poonam Devi ..... Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors. .....Opposite Parties

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	26.12.2024	**आदेश** प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला समाहर्त्ता, अररिया द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या–05/2020 में दिनांक–17.08.2021 को पारित आदे" । के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–20201/2021 में दिनांक–21.03.2024 को पारित आदे" । के आलोक में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बाल विकास परियोजना रानीगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत–विशनपुर, वार्ड सं0–02 में आँगनबाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदिका सहित कुल–04 अभ्यर्थियों ने आवेदन समर्पित किया। अंतिम मेधा सूची के अनुसार शोभा देवी (विधवा) पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर सोनी कुमारी, तीसरे स्थान पर निलम कुमारी तथा चौथे स्थान पर पुनम देवी काबिज हुई। दिनांक–05.12.2018 को पहली आम सभा आयोजित की गई। विवाद के कारण पहली आम सभा स्थगित हो गई। पुनः दिनांक–04.02.2021 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया की अध्यक्षता में शोभा देवी का अवैध रूप से चयन कर लिया गया। अनियमितता के खिलाफ आवेदिका द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के समक्ष अपील वाद संख्या–08/2020–21 दायर किया गया। उक्त वाद के सुनवाई के पूर्व आवेदिका द्वारा माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में चयनित सेविका शोभा देवी के चयन के विरूद्ध परिवाद दायर किया गया, जिसमें आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, पटना द्वारा परिवाद के जाँचोपरांत शोभा दवी के चयन को रद्द कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा यह तथ्य उठाया गया कि आवेदिका के श्वसुर रामेश्वर ऋषिदेव जन वितरण प्रणाली के विक्रेता रहने के कारण दिनांक–04.02.2021 को विशेष आम सभा के द्वारा इनके चयन पर विचार नहीं किया गया। उक्त अपीलवाद में जिला प्राग्राम पदाधिकारी द्वारा गोल मटोल आदेश पारित कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह जिला समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में अपील वाद संख्या–05/20 दायर किया गया जो अस्वीकृत हो गया। इस प्रकार उक्त के विरूद्ध ये माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–20201/21 दायर किया गया, जिसमें विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में वाद दायर करने का आदेश पारित	

Web copy, Not official.

	<u>लगातार</u> 26.12.2024	क्रमशः किया गया। इस प्रकार उक्त के आलोक में इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों से पर एवं विधि विरूद्ध है, जो निरस्त होने योग्य है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–1955, दिनांक–24.12.2019 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर बिना समुचित विचारण के ही विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया। समाहर्त्ता के समक्ष दायर अपील वाद संख्या–05/2020 भी इसी आधार पर अस्वीकृत किया गया। चयन समिति द्वारा प्रथम मेधा क्रमांक की अभ्यर्थी शोभा देवी का चयन किया गया था, परन्तु बाद में उनका चयन इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वह दूसरे पंचायत की रहने वाली थी। पुनः मार्गदर्शिका के अनुसार द्वितीय मेधाक्रम की अभ्यर्थी सोनी देवी का चयन किया गया। आवेदिका द्वारा चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका–6 में संशोधन के लिए निर्गत विभागीय पत्रांक–5891, दिनांक–24.12.2018 का हवाला देती है कि विभाग द्वारा आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका 2016 की कंडिका 6 में आशिक संशोधन करते हुए जन वितरण प्रणाली विक्रेता की पत्नी/बहु के अयोग्यता के स्थान पर संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता चयन के लिए अयोग्य होंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी चयन के लिए एक योग्य अभ्यर्थी थी। आवेदिका ने यह तथ्य उजागर किया है कि सोनी देवी पिछड़ा वर्ग से है, परन्तु बाहुल्य वर्ग अनुसूचित जाति का था। इसपर इनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चयन मार्गदर्शिका, 2016 में यह प्रावधान निहित है कि यदि बाहुल्य वर्ग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो क्रमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग से चयनित करने का प्रावधान है। निम्न न्यायालय द्वारा उक्त विभागीय पत्र की अनुदेखी करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी संख्या–05 सोनी देवी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद विधि अथवा तथ्यों की दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा सभी तथ्यों पर विचारोपरांत नियमानुकूल आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा आवेदिका के श्वसुर जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी रहने के कारण मार्गदर्शिका, 2016 के प्रावधान के आलोक में अयोग्य पाते हुए चयन नहीं किया गया जो सही है। पुनः प्रावधान के अनुसार बाहुल्य वर्ग से अभ्यर्थी नहीं मिलने पर क्रमशः पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग से अभ्यर्थी का चयन किया जाना है। इस प्रकार आवेदिका जो अनुसूचित जाति वर्ग से आती है, के अयोग्य हो जाने के कारण चयन समिति द्वारा पिछड़ी जाति की अभ्यर्थी सोनी देवी का चयन किया गया, जो विभागीय मार्गदर्शिका के दृष्टिकोण से नियमानुकूल है। इस प्रकार आवेदिका का दावा निरर्थक है तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि की दृष्टि से नियमानुकूल है। इनकी ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थन की गयी है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा पत्रांक–842, दिनांक–	

Web copy. Not official.

	लगातार 26.12.2024	26.07.2024 द्वारा मन्तव्य प्रतिवेदन समर्पित करते हुए अंकित किया है कि क्रमशः उनके न्यायालय के वाद संख्या–08/2020–21 पुनम देवी, ग्राम पंचायत–विशनपुर, वार्ड नं0–02 में हुए चयन के विरूद्ध दायर किया था, जिसमें पुनम देवी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत विशनपुर अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें उन्होंने भी आवेदन समर्पित किया था। बाल विकास परियोजना कार्यालय में एक औपबंधिक मेधा सूची तैयार किया गया जिसमें 42.71 प्रतिशत के साथ उनका क्रमांक 02 पर था एवं अन्य तीन आवेदिका सोनी कुमारी पिछड़ा वर्ग, शाभा देवी, पचीरा पंचायत की स्थायो निवासी थी तथा नीलम देवी गाँव की बेटी थो। दिनांक–05.12.2018 को पहली आम सभा निर्धारित की गई, लेकिन आम सभा स्थगित किया गया। उसके बाद दिनांक–04.02.2021 को विशेष आम सभा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शोभा देवी, पति–स्व0 संगीत कुमार पासवान का अवैध ढंग से चयन कर दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रानीगंज का कहना है कि श्रीमती पूनम देवी, पति–संजय ऋषिदेव के श्वसुर जन वितरण प्रणाली के विक्रेता है इसलिए इनके आवेदन पर विचार नहीं किया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि दिनाक–05.12.2018 को आम सभा आयोजित करने हेतु सूचना वार्ड में दी गयी थी, परन्तु महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दो पक्षों के बीच आपसी विवाद के कारण आम सभा नहीं हो सका। अपीलकर्त्ता के श्वसुर श्री रामेश्वर ऋषिदेव, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता रहने के कारण दिनांक–04.02.2021 को भूमि उप समाहर्त्ता, अररिया की अध्यक्षता में आयोजित विशेष आम सभा में अपीलकर्त्ता पूनम देवी के चयन पर विचार नहीं किया गया। विभागीय चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका 6 में उल्लेखित है कि सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12000 या उससे ज्यादा है, जन प्रतिनिधि/संबंधित प्रखंड के जन वितरा प्रणाली विक्रेता की पत्नी, बहु सेविका/सहायिका चयन के लिए अयोग्य होगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आगे अंकित किया गया है कि पूनम देवी, पति–संजय ऋषिदेव के द्वारा माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग में शोभा देवी के चयन के विरूद्ध परिवाद दिया गया था। आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा परिवाद की जाँच कर कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जिसके आलोक में जांचोपरांत श्रीमती शोभा देवी का चयन नियमानुकूल नहीं पाते हुए कार्यालय पत्रांक–706, दिनांक–13.07.2021 द्वारा रद्द कर दिया गया है। उपरोक्त के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रानीगंज के ज्ञापांक 432 दिनांक–14.07.2021 एवं तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के ज्ञापांक–706 दिनांक–13.07.2021 के आलोक में निमानुकूल पाते हुए श्रीमती सोनी कुमारी, पति–नवीन कुमार यादव को चयन पत्र निर्गत किया गया। उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख में संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेजों, कागजातों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अररिया जिला के रानीगंज बाल	

Web copy. Not official.

	लगातार 26.12.2024	विकास परियोजना में पंचायत–विशनपुर, वार्ड नं0–02 में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका के बहाली हेतु दिनांक–16.08.2018 से दिनांक–31.08.2018 क्रमशः तक आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें मेधा सूची के अनुसार पहले स्थान पर शोभा देवी (विधवा) अनुसूचित जाति वर्ग से, दूसरे स्थान पर सोनी कुमारी, पिछड़े वर्ग से, तीसरे स्थान पर निलम कुमारी, अनुसूचित जाति वर्ग से एवं चौथे स्थान पर पुनम देवी अनुसूचित जाति वर्ग से थी, जिसमें दिनांक–04.02.2021 को आयोजित विशेष आमसभा में पूनम देवी के चयन पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि उनके श्वसुर जन वितरण प्रणाली के विक्रेता थे। पुनः शिकायत के कारण शोभा देवी के अन्य पंचायत के स्थायी निवासी होने के कारण उसके चयन को रद्द कर दिया गया। निलम कुमारी पंचायत की बेटी होने के कारण अयोग्य हो गयी। इस प्रकार सभी अनु0 जाति वर्ग के अयोग्य होन के कारण सोनी कुमारी का चयन पिछड़े वर्ग में किया गया। पूनम देवी का आरोप है कि विभागीय पत्रांक–5891 दिनांक–24.12.2018 के द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका 2016 के कंडिका 6 में आंशिक संशोधन करते हुए जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पत्नी/बहु की अयोग्यता के स्थान पर संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता चयन के लिए अयोग्य होगें। फिर भी इनका नियमानुकूल चयन नहीं किया गया। उक्त तथ्य के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पत्रांक–1907/जि0प्रो0, दिनांक–14.12.2019 के द्वारा पत्राचार के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा पत्रांक–1955/सा0, दिनांक–24.12.2019 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उनके श्वसुर को अनुज्ञप्ति माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में पुनर्बहाल किया गया था। विभागीय पत्रांक–5891 दिनांक–24.12.2018 द्वारा किया गया संशोधन चयन हेतु विज्ञापित केन्द्रों को छोडकर तत्काल प्रभाव से लागु करने का निदेश और उक्त चयन हेतु विज्ञापन इस पत्र के पूर्व का था, जिस कारण उक्त संशोधन इस विज्ञापन पर लागु नहीं होगा। साथ हीं अनु0जाति वर्ग में कोई अभ्यर्थी योग्य नहीं पाये जाने के कारण पिछड़े वर्ग की क्रम सं0–02 के अभ्यर्थी सोनी कुमारी का चयन विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार नियमानुकूल किया गया है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में निम्न न्यायालय के निर्णय को नियमानुकूल पाते हुए इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हुए अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद को कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदे" ा की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजे। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not official.

Web copy. Not official.